राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.1(8)नविवि/जयपुर/2017 जयपुर, दिनांक 10 MAY 2018

विषय :– पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने के बाद आवासीय भूखण्डों के आवंटन बाबत् नीति।

पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित परिवारों को राज्य के विभिन्न जिलों में भारतीय नागरिकता समय–समय पर प्रदान की जाती है, जिसके उपरान्त विस्थापित परिवारों के द्वारा शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर महानगरीय क्षेत्रों में, रियायती दर पर आवासीय भूखण्डों के आवंटन की मांग की जाती हैं। इन विस्थापित परिवारों को विभिन्न स्थानों पर संबंधित नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/विकास प्राधिकरणों के द्वारा समय–समय पर आवासीय भूखण्डों का आवंटन किया जाता रहा है, लेकिन ऐसे भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही हेतू राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 में स्पष्ट प्रावधान नहीं है और ना ही राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित परिवारों को भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने के उपरान्त विभिन्न शहरी निकायों के द्वारा ऐसे परिवारों को आवासीय भूखण्ड आवंटन के लिये अलग–अलग प्रक्रिया एवं मापदण्ड अपनाये जाते है। भूखण्ड आवंटन प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने के कारण विस्थापित परिवारों को इधर–उधर भटकना भी पड़ता है और उनको स्थायी आवास के लिए लम्बा इन्तजार करना पड़ता है।

अतः पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित परिवारों को राज्य के नगर विकास न्यासों एवं जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड आवंटन करने की प्रक्रिया, भूखण्ड की माप, आवंटन की दर, पात्रता, लीज दर आदि के स्पष्ट दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतू यह नीति जारी की जाती है जिसके प्रावधान निम्नानुसार है :–

1. **भूखण्ड आवंटन के लिए पात्रता –**

1.1 विस्थापित परिवार को उसी जिले में आवासीय भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा जिस जिले के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उस विस्थापित परिवार के सदस्यों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

1.2 यदि पाकिस्तान से विस्थापित परिवार के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले से भिन्न जिले में न्यास/प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड का आवंटन चाहा जाता है तो उस स्थिति में परिवार के मुखिया को यह प्रमाण देना होगा कि वह भिन्न जिले में न्यास/प्राधिकरण क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष से लगातार निवास कर रहा है और अपने परिवार का वहीं पर पालन–पोषण कर रहा है।

1.3 केवल वही विस्थापित परिवार इस नीति के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड के लिए पात्र होगा जिसके किसी भी सदस्य को पूर्व में राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड का